पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय सम्बल पखवाड़ा
शिविर स्थल ग्राम पंचायत : 17 जीबी, दिनांक : 27.06.2025

फार्म नं.– III

फर्द अहकाम

(नियम–26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुकाम श्रीविजयनगर

सुरेश कुमार बनाम सरकार

अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम नम्बर 88 सन् 2025

जी.सी.एम.एस. आईडी :2025/156

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी किये गये
27.06.2025	प्रार्थी सुरेश कुमार के द्वारा पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय सम्बल पखवाड़ा के अन्तर्गत शिविर ग्राम पंचायत 17 जीबी में आवेदन पेश कर राजस्व रिकार्ड जमाबंदी चक 16 जीबी खाता सं. 138 में दर्ज प्रार्थी का नाम श्री राम के स्थान पर सुरेश कुमार दर्ज करने हेतु निवेदन करने पर उप तहसीलदार जैतसर को जांच हेतु प्रेषित किया गया। उपतहसीलदार जैतसर के द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर राजस्व रिकार्ड में श्री राम के स्थान पर सुरेश कुमार उर्फ श्री राम दर्ज किये जाने की अनुशंषा की गई है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। पत्रावली का अवलोकन किया। रिपोर्ट उपतहसीलदार जैतसर, भू.अ.नि. व पटवारी तथा प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत पहचान के दस्तावेज आधार कार्ड, दस्तावेज जमाबंदी, वसीयतनामा, प्रमाण पत्र प्रशासक ग्राम पंचायत 17 जीबी, फर्द मौका रिपोर्ट एवं उपतहसीलदार जैतसर की अनुशंषा के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार कर राजस्व रिकार्ड चक 16 जीबी के खाता सं. 138 में दर्ज मु.नं. 52 की कुल 3.163है. नहरी भूमि के काश्तकार के नाम श्री राम पुत्र उदाराम को दुरूस्त करते हुए के स्थान पर सुरेश कुमार उर्फ श्री राम पुत्र उदाराम दर्ज करने के आदेश दिए जाते है। शेष अंकन यथावत रहेगा। आदेश की तहरीर पृथक से जारी हो। निर्णय मजमा–ए–आम में सुनाया गया। पत्रावली फैंसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। Signature Not Verified Digitally signed by Shakuntala Date: 2025.08.20 11:44:20 IST Reason: SelfAttested उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर	